न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम अभिषेक पुत्र औमप्रकाश अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 12/2022 **GCMS No.2022/29**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
4-02.2022	वकील अप्रार्थी श्री सुधीर कौशिक अधि० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1583/168 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी यहॉ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसके लिये नगरपालिका कुचामनसिटी के पत्रांक/नपाकु/2021–22/5361 दिनॉक 28.01.2022 द्वारा तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका कुचामनसिटी के पत्रांक/नपाकु/ 2021–22/5361 दिनॉक 28.01.2022 का अवलोकन करने पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 28.01.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	